न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– गोपाल परिहार आर.ए.एस.

अपील संख्या 12/2015

अपीलार्थी :– श्रीमती पारसी देवी पुत्री चिमाराम पत्नी श्री श्रीराम जाति विष्नोई, निवासी ग्राम हेमनगर जोलियाली तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः

01.घेवरराम पुत्र श्री चिमाराम

02.मेकाराम पुत्र श्री चिमाराम

03.बाबूलाल पुत्र श्री चिमाराम

04.जालाराम पुत्र श्री चिमाराम

सभी जाति विश्नोई निवासी मोगडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

05.श्रीमती नैनी देवी पुत्री श्री चिमाराम पत्नी कल्लाराम जाति विश्नोई निवासी जालेली फौजदारान् तहसील व जिला जोधपुर।

06.कानाराम पुत्र श्री फगलुराम जाति विश्नोई निवासी गुडाविष्नोईयां तहसील लूणी जिला जोधपुर।

07.मैसर्स भीष्म इन्टरप्राईजेज प्रा. लि. जोधपुर पंजीकृत कार्यालय 224 द्वितीय फलोर राजदान मंषन जालोरी गेट जोधपुर अधिकृत प्रतिनिधी नरेष जाजडा पुत्र श्री बालकिशन जाति ब्राहमण जाजडा निवासी प्लॉट न 40 दाधीच नगर महामन्दिर तीसरी पोल जोधपुर।

08.सांवलराम पुत्र श्री खींयाराम जाति विश्नोई निवासी जोलियाली तहसील व जिला जोधपुर।

09.सुरजाराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति विश्नोई निवासी गुडाविष्नोईयां तहसील लूणी जिला जोधपुर।

10.संरपच ग्राम पंचायत, गुडाविश्नोईयां तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण सं 546 दिनांक 05.12.1975 ग्राम गुडाविश्नोईयां जो सरपंच ग्राम पंचायत गुडाविश्नोईयां जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1 श्री बुधराम गोदारा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2 श्री रामनारायण बेनिवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट् सं 1 से 4 की ओर।
3 रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 10 की ओर कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक –15/03/2022

अपीलार्थी की ओर से निम्नानुसार अपील पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम गुडाविश्नोईयान् की कृषि भूमि खसरा नम्बर 163/2 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा, खसरा म्बर 163/4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा खातेदार चिमाराम वल्द भारता

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

के नाम दर्ज थी।

चिमाराम (फौत)

घेवरराम	मेकाराम	बाबूलाल	जालाराम	हरीराम	पारसी	नैनी
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)
				(लाओलादफौत)	अपीलार्थी	

उक्त वशांवली के अनुसार चिमाराम फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 पुत्र होने के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, एवं अपीलार्थी श्रीमती पारसी देवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 श्रीमति नैनीदेवी भी स्व. चिमाराम की जायन्दा पुत्री है, रेस्पोडेन्ट् सं 6 से 9 खरीददार होने के कारण पक्षकार बनाया गया। अपीलार्थी भी स्व. चिमाराम बहैसियत विधिक उतराधिकार है। जिससे अपीलार्थी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा अपीलार्थी के पिता फौत होने पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके अपने अकेले पुत्रों के नाम से दर्ज करवा लिया गया, परन्तु अपीलार्थी श्रीमति पारसी देवी पुत्री होने के नाते उनका नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थी के पिता चिमाराम के देहान्त हो जाने के पश्चात् अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत एवं गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 के नाम से दर्ज करवा लिया परन्तु उन्हे अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया, परन्तु अपीलार्थी स्व.चिमाराम की पुत्री होने से उन्हें बिना सुने, बिना विधिक प्रकिया अपनायें गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में सरपंच ग्राम पचायत गुडाविश्नोईयान् द्वारा कानूनी एवं विधिक भूल की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलने एवं स्वीकृत करने के वक्त पटवारी एवं संरपच द्वारा विधिक वारिसानों की जांच किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण में विधि एवं तथ्यों की भूल से भरा गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अपीलार्थी स्व. चिमाराम की पुत्री हैं, तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस हैं, प्रथम श्रेणी की वारिस होने के आधार पर अपीलार्थी के पिता चिमाराम के हक हिस्से वाली जमीन में अपीलार्थी का हक हिस्सा बनता हैं, तथा इस आधार को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच तक नहीं की, व नहीं सही वारिसानों की जांच की। इस आधार पर यह अपीलाधीन नामान्तकरण काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत धारा 8 के अनुसार चिमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान में अपीलार्थी है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलार्थी के पिता के नाम से दर्ज थी तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04 ने अपने नाम से अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करवाया, जबकि अपीलार्थी भी स्व. चिमाराम की जाइन्दा पुत्री हैं।अपीलार्थी श्रीमति पारसी देवी का चिमाराम के जीवन काल में जन्म हो गया था इस कारण जन्म से ही अपीलार्थी को उक्त भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पर बहैसियत विधिक उतराधिकार से खातेदार हो गये। इस प्रकार से अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार मिल गये। जिससे अपीलार्थी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा अपीलार्थी के पिता फौत होने पर रेस्पोडेन्ट्स 1 से 4 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके अपने अकेलों के नाम से दर्ज करवा लिया गया, परन्तु अपीलार्थी श्रीमति पारसी देवी पुत्री होने के नाते उनका नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। इस आधार पर यह अपीलाधीन नामान्तरकरण काबिल खारिज योग्य हैं, अपीलार्थी के नाम दर्ज होने योग्य है।

अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का नोटिस देते व सुनने का अवसर देते जो किसी प्रकार की कार्यवाही का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई सुनवाई का अवसर नहीं देने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार का अवसर देना आवश्यक था। इस आधार पर यह अपीलाधीन नामान्तरकरण काबिल खारिज योग्य हैं।

अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के पिता स्व.चिमाराम के पुत्रों के नाम दर्ज किया, जबकि अपीलार्थी चिमाराम की जाइन्दा पुत्री होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुत्री के नाम से नामान्तरकरण नहीं खोला गया। इस आधार पर यह अपीलाधीन नामान्तरकरण काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार वारिसानों की जांच किये बिना नामान्तरकरण भरा, इस आधार पर यह अपीलाधीन नामान्तरकरण काबिल खारिज योग्य है, अपीलार्थी स्व. चिमाराम की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिसान है अपीलार्थी को बिना सुनवाई सूचना व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना गलत तथ्यों पर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। अपीलार्थी एक ग्रामीण अनपढ महिला है। जिसको कानूनी जानकारी व सरकारी विभागों की जानकारी नही होने के कारण राजस्व रेकर्ड के बारे में अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नही थी।

अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपील के साथ में अपीलार्थी ने धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 06.06.2015 को कृषि भूमि पर के.सी.सी. कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किए तो अपीलार्थी के द्वारा हाल ही में दिनांक 06.06.2015 को पटवारी द्वारा जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थी द्वारा नकल को पढने पर नाम नही होने पर हल्का पटवारी से अपने पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण की नकल चाही गई तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 06.06.2015 को नकल प्राप्त करने पर सम्पूर्ण रूप से जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की कोई किसी प्रकार से जानकारी नही थी। अपीलार्थी की उक्त जानकारी के आधार पर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रेस्पोडेन्टस द्वारा कोई खण्डन नही है। इस प्रकार जानकारी के अनुसार अपील समय अवधि में पेश है, अपील में सारभूत बिन्दू निहित होने पर अपील को परिसीमा विधि लागु नही होती है। परिसीमा को उदार दृष्टिकोण लिया जाना चाहिये जिससे विलम्ब माफ किया जा सकता है, अपील में दम हो तो विलम्ब के बिन्दु को नही देखा जाता है, मेरिट पर तय किया जाता है। विलम्ब को माफ किया जा सकता है। इस प्रकार अपील को अन्दर म्याद माना गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ताओ की सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों व लिखित बहस को पेश कर निवेदन किया गया अपील स्वीकार किया जावे तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस व न्याय निर्णय प्रस्तुत किया गया है, 2011 आरआरटी1 पेज 602, 1998 आर आर डी पेज 319, 2003 आरआरडी 502 , 2012 1 आरआरटी पेज 137, 2013 2 आर आर टी 878 एससी, 2002 1 आरआरटी 257, आरएलडब्लु 1997 1 राज 226, 57 1990 मद्रास 242, 2005 1 आरआरी 588, एआईआर 1988 उडिसा 10, 2011 1 आरआरटी 602, 1987 एससी 1353 पेश किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 ने लिखित बहस पेश की गई।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत अपील व अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया, दौराने बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं कानूनी उद्धरणों का अध्ययन कर विचार किया कि अपीलार्थी की अपील को अन्दर म्याद सुमार किया गया तथा अपीलार्थी स्व. चिमाराम की पुत्री होने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण को बिना जांच किये अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी स्व. चिमाराम की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 546 दिनांक 05.12.1975 ग्राम गुडा विष्नोईयान् जो सरपंच ग्राम पचायत गुडाविश्नोईयान् तहसील व जिला जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया को निरस्त किया जाता है। अतः आदेश यह है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है व नामान्तरकरण संख्या 546 दिनांक 05.12.1975 ग्राम गुडा विश्नोईयान् जो सरपंच ग्राम पचायत गुडाविश्नोईयान् तहसील व जिला जोधपुर को खारिज किया जाता है, तथा प्रकरण तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलार्थी पारसी देवी स्व. चिमाराम की पुत्री सहित स्व0 चिमाराम के वारिस की जांच की जाकर स्व0 चिमाराम के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम विधिसम्मत नामान्तरकरण में निर्णय पारित करे। मूल नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय को लौटावे।

15/03/12

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड
अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी